ए.

विजय कुमार घई और ओआरएस. वी.

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 463) 22 मार्च, 2022

बी.

[एस**.** अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:एस. 482-शिकायत को रद्द करना-अपीलार्थी संख्या 1 पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्रबंध निदेशक है और अपीलार्थी संख्या 1 और 3 उक्त कंपनी के निदेशक हैं-कंपनी को स्वयं उत्तरदाता संख्या 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है-जनवरी 2008 में, एस. एम. सी. ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, दिल्ली के एक अधिकृत प्रतिनिधि, उत्तरदाता संख्या 2 ने अपीलार्थियों के साथ अपनी ओर से निवेश करने की इच्छा जताई-पक्षों के बीच यह पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया था कि उत्तरदाता संख्या 2 रुपये की राशि का निवेश करेगा। कंपनी के साथ ढाई करोड़ रुपये, जिसके बदले में उन्हें कंपनी के 2,50,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे (प्रत्यर्थी संख्या 3)-इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रुपये के चेक के साथ शेयर आवेदन पत्र दाखिल किया। 2. 5 करोड़-प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में एक आवंटन पत्र जारी किया गया था जिसके तहत उनके द्वारा किए गए निवेश के बदले में 2,50,000 शेयर जारी किए गए थे।3 और प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए निवेश के संबंध में एक समझ पर पहुंचे।– समझौता ज्ञापन के अनुसार आई. पी. ओ. लाने में विफल रहने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिन्होंने कानूनी नोटिस में निहित सभी आरोपों को नकारते हुए कानूनी नोटिस का विधिवत जवाब दिया-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने नई दिल्ली में एक पुलिस शिकायत दर्ज की-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक दूसरी शिकायत दर्ज की।406, 409, 420, 468,120 बी और 34 आई. पी. सी. कोलकाता में कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर और उसी को एस. एस. के तहत एफ. आई. आर. में परिवर्तित कर दिया गया था।406, 420, 120 बी आई. पी. सी.-कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले से रद्द करने के साथ-साथ अपीलार्थियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित:इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुबंध का केवल उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और नुकसान के नागरिक दायित्व

को जन्म देता है-जबकि अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या बेईमान इरादे के लिए ए का आधार है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

884

885

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए

धोखाधड़ी का अपराध-वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत अपीलार्थियों के बेईमान या धोखाधड़ी के इरादे का खुलासा नहीं करती है-ताकि एस. एस. की सामग्री को आकर्षित किया जा सके।406 और आई. पी. सी. 420, शिकायतकर्ता की ओर से प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना अनिवार्य है कि याची और/या अन्य लोगों की ओर से शुरुआत से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने और/या धोखा देने का इरादा था-यह प्रथम दृष्टया स्थापित किया जाना चाहिए कि धोखाधड़ी के इस तरह के कथित कार्य के कारण, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) को गलत नुकसान हुआ था और इसके परिणामस्वरूप आरोपी (अपीलकर्ता) को गलत लाभ हुआ था-इन तत्वों के अभाव में, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध करने के संबंध में कानून की नजर में कोई कार्यवाही की अनुमति नहीं है-आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र के अनुसरण में आक्षेपित एफ. आई. आर. और कार्यवाही।406, 420,120 बी आई. पी. सी. रद्द कर दिया गया-दंड संहिता, 1860-एस.406, 420,120 बी.

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1. "**भारतीय दंड संहिता**, 1860** की धारा **405** के तहत संपत्ति का **"**समर्पण**"** इसके तहत एक अपराध होने के लिए महत्वपूर्ण है।उपयोग किए गए शब्द

हैं, 'किसी भी तरह से संपत्ति को सौंपा गया'।इसलिए, यह सभी प्रकार के प्रत्यर्पणों तक फैला हुआ है, चाहे वे क्लर्क, नौकर, व्यावसायिक भागीदार या अन्य व्यक्तियों को, बशर्ते वे 'विश्वास' का पद धारण कर रहे हों।एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के विपरीत उन्हें सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, वह विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है और दंड संहिता की धारा **406** के तहत दंडित किया जाता है।आई. पी. सी. की धारा **420** धोखाधड़ी का एक गंभीर रूप है जिसमें संपत्ति के वितरण के साथ-साथ मूल्यवान प्रतिभूतियों के संदर्भ में प्रलोभन (किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना या स्थानांतरित करना) शामिल है।यह धारा उन मामलों पर भी लागू होती है जहां धोखाधड़ी या प्रलोभन के कारण संपत्ति का विनाश होता है।इस धारा के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जो **7** साल तक बढ़ सकती है और व्यक्ति को जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी बनाती है।**[**पैरा **24,30] [903-**ई-एफ; **905-**बी-डी**]**

ई.

एफ.

जी.

2. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और नुकसान के नागरिक दायित्व को जन्म देता है।जबकि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी या बेईमान इरादा है

एच.

धोखाधड़ी के अपराध का आधार।वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या **2** द्वारा दायर शिकायत अपीलार्थियों के बेईमान या धोखाधड़ी के इरादे का खुलासा नहीं करती है।**[**पैरा **34] [907-**बी-डी**]**

3. शिकायत/एफ़. आई. आर. और यहाँ तक कि आरोप-पत्र को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ़. आई. आर. में दिए गए कथन और अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप आई. पी. सी. की धारा **405** और **420** के तहत अपराध हैं।यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां आरोपी की ओर से अपना वादा पूरा करने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, वादा करने के समय गैर-जिम्मेदार इरादे के अभाव में, आईपीसी की धारा **420** के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है।तत्काल मामले में, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थियोंओं का प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था जो पक्षों के बीच दिनांकित **20.08.2009** एमओयू से स्पष्ट रूप से घटाया जा सकता है।प्रत्यर्थी संख्या **2** ने **06.06.2012** पर धारा **156 (3) Cr.P.C** के तहत

शिकायत दर्ज की, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उनकी प्रार्थना को आदेश **dated28.02.2013** के माध्यम से एमएम, तीस हजारी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पी. एस. बौबाजार, कलकत्ता में **28.03.2013** पर अपनी शिकायत दर्ज की।शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी संख्या **2** के दुर्भावनापूर्ण इरादे को इंगित करती है जो याचिकाकर्ताओं को केवल परेशान करना था ताकि उन पर प्रत्यर्थी संख्या **2** द्वारा किए गए निवेश को कम करने के लिए दबाव डाला जा सके। **[**पारस **36,38] [908-**ए-सी, जी-एच**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और अन्र। **(2005) 10** एससीसी **336;** हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम

बिहार राज्य और अन्र। (2000) 4 एससीसी 168:[2000] 2 एससीआर

859; प्रो.आर. के. विजयसारथी और अन्र बनामसुधा सीतारम

एफ.

& एन. आर. **(2019) 16** एससीसी **739:[2019] 2** एससीआर **185;** वेसा

होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामकेरल राज्य और अन्य। **(2015)**

8 एससीसी **293:[2015] 4** एस. सी. आर. **27-**पर निर्भर।

वी. वाई. जोस और एनर बनामगुजरात राज्य और अन्र। **(2009) 3**

एससीसी 78:[2008] 17 एस. सी. आर. 588 मुरारी लाल गुप्ता बनाम गोपी

जी.

सिंह **(2005) 13** एससीसी **699;** के. जयराम और ओआरएस. वी.बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। **2021** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **1194;** भारत संघ और ओआरएस. **v.**

शांतिरंजन सरकार (2009) 3 एससीसी 90:[2009]

1 एससीआर **242;** के. जगदीश बनाम उदय कुमार जी. एस. और अन्र।

एच.

887

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए

ए.

(2020) 14 एस. सी. सी. 552; वी. रवि कुमार बनाम राज्य और अन्य।

(2019) 14 एससीसी 568:[2018] 14 एस. सी. आर. 828; इंडियन ऑयल

निगम बनाम एन**.** ई**.** पी**.** सी**.** इंडिया लिमिटेड और अन्य। **(2006) 6** एससीसी

736 :[2006] 3 पूरक।एससीआर 704; ए. वी. मोहन राव और

एन**.** आर**.** वी**.**एम**.** किशन राव और अन्र**. (2002) 6** एससीसी **174:[2002] 1** पूरक। एससीआर **175;** भारत संघ और अन्य बनामसिप्ला लिमिटेड

बी.

& एन. आर. (2017) 5 एससीसी 262:[2016] 7 एससीआर 523; कृष्णा

लाल चावला और ओआरएस बनामउत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य **(2021) 5** एससीसी

435; टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य। (2001) 6 एससीसी

181 :[2001] 3 एससीआर **942;** के**.** जयराम और ओआरएस**.** वी**.**बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1194;** हरियाणा राज्य और अन्य बनामभजन

सी.

लाल और ओआरएस। 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335:[1990] 3 पूरक।

एससीआर **259;** आर**.** पी**.** कपूर बनाम पंजाब राज्य **[1960] 3** एस**.** सी**.** आर**. 388** इंदर मोहन गोस्वामी और अन्र बनामकी स्थिति

उत्तरांचल और ओआरएस। (2007) 12 एससीसी 1:[2007]

10 एस**.** सी**.** आर**. 847;** इंडियन ऑयल कार्पोरेशन।एन**.** ई**.** पी**.** सी**.** इंडिया लिमिटेड और

डी.

ओआरएस। (2006) 6 एससीसी 736:[2006] 3 पूरक।एससीआर 704;

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता और

ओआरएस। (2004) 1 एससीसी 691:[2003] 5 पूरक।एससीआर 672; जी।

सागर सूरी और अन्र बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(2000) 2** एससीसी 636 :[2000] 1 एससीआर 417; आर के डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन [1963] 1 एस. सी. आर. 253; सुधीर शांतिलाल ई. मेहता बनाम सीबीआई (2009) 8 एससीसी 1:[2009] 12 एस. सी. आर. 682-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2008] 17 एससीआर **588**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.7**

एफ.

(2005) 13 एससीसी **699**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.7**

[2009] 1 एससीआर **242**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.7**

(2020) 14 एस**.** सी**.** सी**. 552**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.2**

[2018] 14 एससीआर **828**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.4**

जी.

[2006] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 704** पैरा **5.4 [2002] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 175** पैरा **5.4 [2016] 7** एस**.** सी**.** आर**. 523** पैरा **9 (2021) 5** एस**.** सी**.** सी**. 435** को संदर्भित

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

एच.

888 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

[2001] 3 एससीआर **942**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[1990] 3 पूरक।पैरा **15 [1960] 3** एस**.** सी**.** आर**. 388** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 259**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2007] 10 एससीआर **847**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

बी.

[2006] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 704** पैरा **18 [2003] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **19 [2000] 1** एस**.** सी**.** आर**. 417** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 672**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[1963] 1 एससीआर **253**

सी.

[2009] 12 एससीआर **682**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[2019] 2 एससीआर **185**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **32**

(2005) 10 एस**.** सी**.** सी**. 336**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **33**

[2000] 2 एससीआर **859**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **34**

डी.

पर भरोसा किया गया |

[2015] 4 एससीआर **27**

पैरा **35**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 463।

2017 के सी. आर. आर. <आई. डी. 1 में कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

ई.

डॉ. मेनका गुरुस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरंधती काजजू, यश एस. विजय, सुश्री सृष्टि बोरठाकुर, शुभम भल्ला, आशीष बाजपेयी, दीपक समोटा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

श्रीमती अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुज प्रकाश, सुश्री अपूर्वा जैन, राजकुमार जैन, श्रेयस जैन, कुमार मिहिर, सुश्री प्राची गुप्ता, रंजीत कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** जे।

जी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के सी. आर. आर. संख्या 731 में (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) पारित विद्वान गए निर्णय और आदेश के खिलाफ एक लाभ के लिए निर्देशित की गई है, जिसमें अपीलार्थियों द्वारा 2013 का जी. आर. मामला संख्या 1221 होने की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

एच.

889

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

कोलकाता और भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 420,406 और 120 बी के तहत बौबाजार पुलिस स्टेशन मामला संख्या 168 दिनांक 28.03.2013 से उत्पन्न।उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि वर्तमान अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगा।

बी.

3. इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

3.1 मेसर्स प्रिनिट रिटेल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बी. एक्स. एक्स. वी., 539 ए, 10, जालंधर, बाय पास रोड, लुधियाना, पंजाब में है, को वर्ष 2002 में निगमित किया गया था और बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर प्रिनिट अपेरल्स कर दिया गया।कंपनी प्रिनिट के ब्रांड नाम और शैली के तहत खुदरा दुकानों की श्रृंखला के माध्यम से परिधानों के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है।अपीलार्थी संख्या 1 कंपनी का प्रबंध निदेशक है और अपीलार्थी संख्या 2 और 3 उक्त कंपनी के निदेशक हैं।कंपनी को प्रोफार्मा प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सी.

डी.

3.2 जनवरी 2008 में, एस. एम. सी. ग्लोबल सिक्यूरिटीज लिमिटेड, दिल्ली के एक अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के साथ अपनी ओर से निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।पक्षों के बीच यह पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 रुपये की राशि का निवेश करेगा। कंपनी के साथ 2.50 करोड़ रुपये के बदले में उन्हें प्रिनिट एपेरल

प्राइवेट लिमिटेड के 2,50,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके बाद, उत्तरदाता संख्या 2 ने रुपये के चेक के साथ अपना शेयर आवेदन पत्र दाखिल किया। 2. 50 करोड़।

ई.

3.3 इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांकित 29.03.2008 का एक आवंटन पत्र जारी किया गया, जिसके तहत उनके द्वारा किए गए निवेश के बदले में 2,50,000 शेयर जारी किए गए।प्रोफार्मा उत्तरदाता नं। 3 कंपनी और प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए निवेश के संबंध में एक समझ पर पहुंचे।

एफ.

3.4 दिनांक 20.08.2009 के समझौता ज्ञापन के अनुसार आई. पी. ओ. को लाने में विफल रहने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों को दिनांकित 06.12.2011 का एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिन्होंने कानूनी नोटिस में निहित सभी आरोपों से इनकार करते हुए कानूनी नोटिस का विधिवत जवाब दिया।

जी.

3.5 कि 06.01.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पीएस राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में एक पुलिस शिकायत दर्ज की और पीएस राजेंद्र नगर के संबंधित अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को अवगत कराया कि शिकायत नहीं है।

एच.

यह उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और इसलिए इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 11.04.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आर्थिक अपराध शाखा (इसके बाद "ईओडब्ल्यू" के रूप में संदर्भित) में शिकायत दर्ज की और उक्त शिकायत को पीएस दरिया गंज, नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया।

3.6 कि 06.06.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों और उनकी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नई दिल्ली के तिज़ हजारी न्यायालय के समक्ष Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत CC संख्या 306/1/12 के रूप में शिकायत दर्ज की। 01.09.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने Cr.P.C की धारा 200 सहपठित कंपनी अधिनियम की धारा 68 के तहत तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष 12 की एक और शिकायत संख्या 190 भी दायर की, जो निर्णय के लिए लंबित है।

बी.

सी.

3.7 कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (इसके बाद "एम. एम". के रूप में संदर्भित), तीस हजारी ने दिनांक 28.02.2013 के आदेश के माध्यम से कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उठाया गया पूरा विवाद नागरिक प्रकृति का था और इसमें कोई आपराधिकता शामिल नहीं थी, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन के संबंध में पूर्व-समन साक्ष्य के लिए मामले को पोस्ट किया गया।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एम. एम., तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसे आगे चुनौती नहीं दी गई थी।

डी.

3.8 कि 28.03.2013 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पीएस बौबाजार के साथ कार्रवाई के समान कारण के आधार पर आईपीसी की धारा 406,409,420,468,120 बी और 34 के तहत दूसरी शिकायत दर्ज की और उसी को आईपीसी की धारा 406,420,120 बी के तहत 168 वाली प्राथमिकी में परिवर्तित कर दिया गया। संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा मामले को बंद करने की सिफारिश करते हुए 04.03.2014 दिनांकित एक अंतिम समापन रिपोर्ट दायर की गई थी क्योंकि पूरा विवाद दीवानी प्रकृति का पाया गया था।

ई.

एफ.

3.9 उस प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (इसके बाद "सीएमएम" के रूप में संदर्भित), कोलकाता के साथ एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें बंद करने की रिपोर्ट दिनांकित 04.03.2014 और दिनांकित 08.03.2016 के आदेश के खिलाफ, सीजेएम ने विरोध याचिका की अनुमति दी और आगे की जांच के लिए निर्देश दिया।

जी.

3.10 इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिकृत प्रतिनिधि ने शिकायत मामले को वापस लेने के लिए एमएम, तिश हजारी, नई दिल्ली के समक्ष एक बयान दिया।

3.11 अपीलार्थी नं. 1 को धारा 41 (ए) Cr.P.C के तहत जांच अधिकारी ए के समक्ष पेश होने के लिए दिनांकित 14.11.2016 का नोटिस प्राप्त हुआ।

एच.

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

(इसके बाद पीएस बौबाजार, कोलकाता में "आईओ" के रूप में संदर्भित किया जाता है।उक्त नोटिस के अपने जवाब में, अपीलार्थी संख्या 1 ने कहा कि तीस हजारी न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के समान कारण के साथ एक शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है और नोटिस में मांगे गए दस्तावेजों को पेश करने के लिए समय मांगा गया है।इसके बाद, अपीलार्थी संख्या 1 ने जांच के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक पत्र भेजा, जिससे मामला संख्या 168 के संबंध में कोलकाता के पुलिस थाना बौबाजार में आई. ओ. को पूरा सहयोग दिया गया। आई. ओ. पी. एस. बौबाजार, कोलकाता ने धारा 41 (ए) Cr.P.C दिनांक 23.12.2016 के तहत अपीलार्थी संख्या 1 और 2 को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उनके सामने पेश होने के लिए एक और नोटिस भेजा।

बी.

3.12 सी. एम. एम., कलकत्ता ने 2013 के जी. आर. मामला संख्या 1221 यानी विरोध याचिका के अनुरूप मामला संख्या 168 दिनांक आई. डी. 1 के संबंध में आई. पी. सी. की धारा 406,420,120 बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया।

सी.

न्यायालय 3 न्यायालय.न्यायालय 1 न्यायालय 3 न्यायालय
न्यायालयइन्यायालयसन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयन्यायालययन्यायालयथन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयोन्यायालयकन्यायालयरन्यायालय,न्यायालय
अपीलार्थियोंन्यायालयओन्यायालयंन्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालय 2 न्यायालय 0 न्यायालय 1 न्यायालय 7 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 4 न्यायालय 8 न्यायालय 2 न्यायालय
न्यायालय C न्यायालय r न्यायालय.न्यायालय P न्यायालय.न्यायालय C न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयतन्यायालयहन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयखन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 7 न्यायालय 3 न्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय न्यायालयरन्यायालयदन्यायालयन्यायालयदन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयान्यायालयलन्यायालयीन्यायालय

न्यायालययन्यायालयान्यायालयचन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयदन्यायालयान्यायालययन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयडन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालय 1 न्यायालय
न्यायालयदन्यायालयिन्यायालयनन्यायालयान्यायालयंन्यायालयकन्यायालयिन्यायालयतन्यायाल
य न्यायालयएन्यायालयफन्यायालय.न्यायालय न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयखन्यायालयञ्न्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 1 न्यायालय 6 न्यायालय 8 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयदन्यायालयञ्न्यायालयदन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयान्यायालयंन्यायालयगन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयईन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालय 2 न्यायालय 0 न्यायालय 1 न्यायालय 3 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयमन्यायालयान्यायालयमन्यायालयलन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयखन्यायालयञ्न्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 1 न्यायालय 2 न्यायालय 2 न्यायालय 1 न्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 4 न्यायालय 0 न्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालय 4 न्यायालय 8 न्यायालय 2 न्यायालय
न्यायालय C न्यायालय r न्यायालय.न्यायालय P न्यायालय.न्यायालय C न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयलन्यायालयान्यायालयगन्यायालयून्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालयञ्न्यायालययन्यायालयवन्यायालयान्यायालयहन्यायालय
ीन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय न्यायालयभन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयपन्यायालयतन्यायालयञ्न्यायालयतन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयतन्यायालयान्यायालयईन्यायालय।न्यायालयप्रत्यर्थी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन उसे दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया, यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भी उन्हीं आरोपों पर दिल्ली में शिकायत दर्ज की थी, इस प्रकार कलकत्ता में कार्यवाही का उद्देश्य अपीलार्थियों को परेशान करना था।

डी.

ई.

3.15 हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से रद्द करने के साथ-साथ अपीलार्थियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा और अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना किसी भी तरह से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।उपरोक्त निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः-

एफ.

जी.

"वर्तमान मामले में, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप ने कथित अपराधों का खुलासा किया। इसके अलावा, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि याची ने शिकायतकर्ता को जानबूझकर गलत तरीके से शेयर खरीदने या पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

एच.

892 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

यह सच है कि शिकायत से पता चलता है कि पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक लेनदेन हुआ था, लेकिन साथ ही, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि शिकायत/प्राथमिकी में किए गए दावे प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं।

इसके अलावा, जब शिकायत से पता चलता है कि दोनों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन में आपराधिक अपराध शामिल हैं, तो शिकायत को रद्द करने के सवाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

बी.

अपीलार्थियों की ओर से दलीलें

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मेनका गुरुस्वामी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 2 शिकायतें दर्ज करके मंच खरीदारी की प्रथा में लिप्त हो गए हैं, यानी <आईडी1 पर तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत एक शिकायत और एक शिकायत जो अंततः आई. पी. सी. की धारा 168 यू/एस 406,420,120 बी के रूप में पी. एस. बौबाजार, कलकत्ता के समक्ष 28.03.2013 पर दर्ज की गई थी।पीएस बौबाजार, कलकत्ता के संबंध में प्राथमिकी तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली में शिकायत मामले के लंबित रहने के दौरान दर्ज की गई थी और उक्त तथ्य को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा चतुराई से दबा दिया गया था। 4.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि शुरू में पुलिस ने एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की।हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने

आगे की जाँच के लिए Cr.P.C की धारा 173 (8) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति दी गई और आगे की जाँच के बाद, अपीलार्थियों के खिलाफ यहाँ आरोप पत्र दायर किया गया।4.2 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया था कि पीएस बौबाजार में दर्ज की गई शिकायत नई दिल्ली में दर्ज की गई शिकायत का सटीक पुनरुत्पादन था, जिसमें एकमात्र अंतर घटना का स्थान था।दिल्ली में दर्ज शिकायत में, घटना स्थल को नई दिल्ली में कार्यालय दिखाया गया था और बाद में कलकत्ता में की गई शिकायत में, घटना स्थल को कलकत्ता में इसके कार्यालय में बदल दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एफ. आई. आर. में निहित आरोप विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति के संविदात्मक विवाद हैं, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इसे आपराधिक रंग दिया है और अनुबंध का उल्लंघन आई. पी. सी. में परिभाषित धोखाधड़ी के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि एफ. आई. आर. से प्रकट किए गए पक्षों के बीच विचाराधीन लेनदेन विशुद्ध रूप से एक बिक्री लेनदेन था या जिसे वाणिज्यिक लेनदेन कहा जा सकता है, इसलिए धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं उठता है।

जी.

एच.

893

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

ए.

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत में अपीलार्थियोंओं के प्रतिनिधित्व करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादे रखने के बारे में कोई आरोप नहीं हैं। 4.5 यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अपीलार्थी ओं के खिलाफ शिकायत में दर्ज दो आरोप शिकायतकर्ता कंपनी को शेयरों के आवंटन में देरी और अपीलार्थी संख्या 1 की आई. पी. ओ. लाने में विफलता स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक विवाद हैं जिनमें आपराधिकता का कोई तत्व नहीं है।

बी.

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि केवल एक वादा पूरा करने में विफलता आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत विश्वास के आपराधिक

उल्लंघन या आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के बराबर एक बेईमान इरादे की कोई धारणा पैदा नहीं करती है।

सी.

4.7 इस न्यायालय के फैसलों पर भारी निर्भरता रखी गई थी

V.Y.Jose & Anr. बनाम गुजरात राज्य और अन्र। **1,** मुरारी लाल गुप्ता बनाम गोपी सिंह **2;** के**.** जयराम और अन्य। बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। **3.** भारत संघ और अन्य। बनाम शांतिरंजन सरकार **4.**

डी.

उत्तरदाताओं की ओर से दलीलें

5. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती अंजना प्रकाश ने जोरदार ढंग से कहा कि शिकायत में निहित आरोपों ने कथित अपराधों के सभी तत्वों का खुलासा विद्वान है और इसके अलावा, आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू नहीं की गई है और तीस हजारी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत मामले का निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं विद्वान गया था और इसलिए शिकायतकर्ता को नई शिकायत करने से रोका नहीं जा सकता है।

ई.

5.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कोलकाता में शिकायत केवल तब दायर की गई थी जब धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत दिल्ली न्यायालय द्वारा उपलब्ध कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए 28.02.2013 पर प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था और जब कलकत्ता न्यायालय ने 08.03.2016 पर आगे की जांच की अनुमति दी, तो प्रत्यर्थी ने कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, 09.09.2016 पर दिल्ली में शिकायत वापस ले ली।

एफ.

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि दो शिकायतें एक साथ हो सकती हैं यदि दो का दायरा हो।

जी.

1 (2009) 3 एससीसी 78 2 (2005) 13 एससीसी 699

3 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1194 4 (2009) 3 एस. सी. सी. 90

एच.

शिकायतें अलग-अलग हैं।विवाद के समर्थन में रिलायंस को रखा गया था

के. जगदीश बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर। उदय कुमार जी. एस. और

एन. आर. 5, जिसमें यह दोहराया गया था कि दो उपचार अर्थात।दीवानी और अपराधी पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं लेकिन सह-अस्तित्व में हो सकते हैं क्योंकि वे अनिवार्य रूप से अपने संदर्भ और परिणाम में भिन्न होते हैं।

बी.

5.3 यह भी प्रस्तुत किया गया था कि रद्द करने का स्थापित सिद्धांत यह है कि संज्ञान के स्तर पर एक न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता होती है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है और न्यायालयों को खुद को वैध अभियोजनों को सीमा पर दबाने से रोकना चाहिए और कानून को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।उसी की पुष्टि करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता ने एक विशिष्ट आरोप लगाया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के प्रलोभन पर, उसने एक झूठे वादे पर 2.5 करोड़ रुपये के साथ भाग लिया था कि उन्हें कंपनी में शेयर आवंटित किए जाएंगे।29.02.2008 पर, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एक झूठा बयान दिया गया था कि शिकायतकर्ता को शेयर आवंटित किए गए थे, जबकि यह पता चला कि शेयरों के आवंटन के बारे में संकल्प केवल 23.03.2009 पर लिया गया था जो कि एक साल बाद है।

सी.

डी.

5.4 वी**.** में इस न्यायालय के फैसलों पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी।

रवि कुमार बनाम राज्य और अन्य। **6.** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन**.** ई**.** पी**.** सी**.** इंडिया लिमिटेड और अन्य। **7;** ए**.** वी**.** मोहन राव और अन्र। बनाम एम**.** किशन राव और अन्र। **8.** के**.** जगदीश **(**सुप्रा**)**।

ई.

6. हमने बार में की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

7. मुख्य रूप से, भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार दोहराया है कि मंच खरीदारी कई रंग लेती है लेकिन 'मंच खरीदारी' की अवधारणा को किसी भी भारतीय कानून में एक विशेष परिभाषा नहीं दिया गया है।मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार फोरम शॉपिंग हैः-

एफ.

"उस न्यायालय को चुनने की प्रथा जिसमें उन न्यायालयों में से एक से कार्रवाई की जाए जो उचित रूप से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं जिसके निर्धारण के आधार पर न्यायालय सबसे अनुकूल परिणाम प्रदान करने की संभावना है।

जी.

5 (2020) 14 एससीसी 552 6 (2019) 14 एससीसी 568 7 (2006) 6 एससीसी 736 8 (2002) 6 एससीसी 174 ए

एच.

895

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

8. भारतीय न्यायपालिका के अवलोकन और आज्ञाकारी आदेश ने भारतीय कानूनी प्रणाली में मंच खरीदारी की अवधारणा को सुव्यवस्थित करने में सहायता की है।इस न्यायालय ने वादियों द्वारा मंच खरीदारी की प्रथा की निंदा की है और इसे कानून का दुरुपयोग करार दिया है और मंच खरीदारी की विभिन्न श्रेणियों को भी समझा है।

9. भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। बनाम सिप्ला लिमिटेड और अन्र। **9** ने ऐसे कारकों को निर्धारित किया है जो वादियों द्वारा मंच खरीदारी या मंच के चयन के अभ्यास की ओर ले जाते हैं जो इस प्रकार हैं:-

बी.

"148. फोरम शॉपिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण तब होता है जब वादी राहत के लिए एक न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है लेकिन उसे वांछित राहत नहीं मिलती है और फिर उसी राहत के लिए दूसरे न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।

सी.

यह राजीव भाटिया बनाम में हुआ। एन. सी. टी. दिल्ली की सरकार और

अन्य 10.एक छोटे बच्चे की प्रतिवादी-माँ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी और जाहिर तौर पर उस न्यायालय से आवश्यक राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की और आवश्यक राहत प्राप्त की।इसके बावजूद, इस न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस कारण से हस्तक्षेप नहीं किया कि इस न्यायालय ने बच्चे के विचारों का पता लगाया और पाया कि वह अपने दत्तक माता-पिता से बात भी नहीं करना चाहती थी और इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-माँ को दिए गए बच्चे की अभिरक्षा में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

इस न्यायालय का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर है, भले ही यह मंच खरीदारी का एक उत्कृष्ट मामला है।

डी.

ई.

149. आरती बंदी बनाम बंदी जगद्रक्षक राव और अन्य में। **11.**

इस न्यायालय ने नोट किया कि न्यायालय में अधिकार क्षेत्र आकस्मिक परिस्थितियों के संचालन या निर्माण से आकर्षित नहीं होता है।उस मामले में, किसी विशेष उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए विवाद के एक पक्ष द्वारा परिस्थितियाँ बनाई गई थीं।इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि सृजित परिस्थितियों में अधिकार क्षेत्र को ग्रहण करने की अनुमति देने से केवल मंच खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

एफ.

जी.

9 (2017) 5 एससीसी 262 10 (1999) 8 एससीसी 525 11 (2013) 15 एससीसी 790

एच.

150. उद्देश्यों के लिए परिस्थितियाँ बनाने का एक और मामला

फोरम शॉपिंग में वर्ल्ड टैंकर कैरियर कॉर्पोरेशन बनाम एस. एन. पी. शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 12 थे जिनमें यह था

यह पाया गया कि प्रत्यर्थी/वादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्र में दो जहाजों के बीच टक्कर नामक कार्रवाई के कारण को लाने का जानबूझकर प्रयास किया था।बॉम्बे उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक जहाज को बॉम्बे लाने में किसी और चीज़ के बजाय मंच पर खरीदारी करने का चरित्र था।

बी.

151. फोरम शॉपिंग का एक अन्य रूप किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा रखे गए एक अलग दृष्टिकोण के विपरीत एक विशेष उच्च न्यायालय द्वारा रखे गए दृष्टिकोण का लाभ उठाना है। अम्बिका इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2007) 6 एस. सी. सी. 769 में निर्धारिती लखनऊ से था।इसने दिल्ली में स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) द्वारा पारित एक आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।सी. ई. एस. टी. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश, एन. सी.

टी. दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों पर था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में निर्धारिती द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर विचार नहीं किया।निर्धारिती की अपील को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने बॉम्बे में एक मूल्यांकन आदेश से प्रभावित एक निर्धारिती का उदाहरण दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का लाभ उठाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया गया था या बॉम्बे में किए गए मूल्यांकन के आदेश से प्रभावित एक निर्धारिती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए उसके द्वारा निर्धारित कानून का लाभ उठाया और परिणामस्वरूप बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से बच गया।यह कहा गया था कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इस तरह की परिस्थितियाँ किसी प्रकार की न्यायिक अराजकता का कारण बनेंगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

155. निर्दिष्ट निर्णय स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को निर्धारित करते हैं कि न्यायालय को मुकदमेबाजी और वादी की तुलना में एक कार्यात्मक परीक्षण अपनाने की आवश्यकता है।यह देखना होगा कि क्या एक न्यायालय और दूसरे न्यायालय के बीच कार्यवाही में कोई कार्यात्मक समानता है या क्या एक वादी की ओर से किसी प्रकार का छल है।यह कार्यात्मक परीक्षण है।

जी.

12 (1998) 5 एससीसी 310 ए

एच.

यह निर्धारित करेगा कि कोई वादी मंच पर खरीदारी कर रहा है या नहीं।"

10. फोरम खरीदारी को अदालतों द्वारा अपमानजनक प्रथा कहा गया है और कानून में इसकी कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है।इस न्यायालय द्वारा मंच पर खरीदारी की प्रथा की निंदा करने के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दो शिकायतें दायर कीं, अर्थात, तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत 06.06.2012 पर एक शिकायत और एक शिकायत जो अंततः आई. पी. सी. की धारा 406,420,120B के तहत पी. एस. बौबाजार, कलकत्ता के समक्ष 28.03.2013 पर प्राथमिकी संख्या 168 के रूप में दर्ज की गई थी। यानी।, दिल्ली में एक और कोलकाता में एक शिकायत।कोलकाता में दायर की गई शिकायत दिल्ली

में दायर की गई शिकायत का पुनरुत्पादन थी, सिवाय इसके कि अधिकार क्षेत्र बनाने के लिए स्थान परिवर्तन किया गया था।

बी.

सी.

11. कृष्ण लाल चावला और अन्य मामलों में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य 13 ने पाया कि एक ही घटना के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतें अस्वीकार्य हैं।इसने अभिनिर्धारित किया कि एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों को अनुमति देने से, चाहे वह एक संज्ञेय या निजी शिकायत अपराध हो, आरोपी को कई आपराधिक कार्यवाही में फंसाया जाएगा। इस प्रकार वह प्रत्येक मामले में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और अदालतों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और बहुमूल्य समय का समर्पण करने के लिए मजबूर होगा।

डी.

12. दूसरी एफ़. आई. आर. की वैधता पर व्यापक रूप से चर्चा की गई

ई.

टी**.** टी**.** एंटनी बनाम में यह न्यायालय। केरल राज्य और अन्य। **14.**यह माना गया कि

ऐसी कोई दूसरी एफ़. आई. आर. नहीं हो सकती है जहाँ जानकारी उसी संज्ञेय अपराध से संबंधित हो जो पहली एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया हो या वही घटना या घटना जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती हो।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार आई. डी. 1 की धारा 154 के प्रावधानों द्वारा अभिनिर्धारित एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, जांच शुरू होने के बाद प्राप्त कोई भी जानकारी दूसरी एफ. आई. आर. का आधार नहीं बन सकती है क्योंकि ऐसा करने से आई. डी. 1 की योजना के अनुरूप नहीं होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि उन स्थितियों को छोड़कर जिनमें जवाबी मामला दर्ज किया जाता है, उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध के आधार पर एक नई जांच या दूसरी एफ. आई. आर. "जांच की वैधानिक शक्ति का दुरुपयोग" होगा और आई. डी. 1 की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।

एफ.

जी.

13 (2021) 5 एससीसी 435

एच.

14 (2001) 6 एससीसी 181

13. के**.** जयराम और अन्य मामलों में इस न्यायालय की दो**-**न्यायाधीशों की पीठ।

बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। **15** ने देखाः

"16. हमारे लिए यहां यह बताना आवश्यक है कि एक ही विषय-वस्तु से संबंधित कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गलत बयान देने के दायित्व से बचने के लिए या तो चुप रहकर या दलीलों में भ्रामक बयान देकर भौतिक तथ्यों को दबाकर विभिन्न न्यायिक मंचों के माध्यम से असंगत आदेश मांगने के खतरे को रोकने के लिए, हमारा विचार है कि पक्षों को विवाद के विषय-वस्तु के किसी भी हिस्से से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही और मुकदमों के विवरण का खुलासा करना होगा जो उनकी जानकारी में है।यदि विवाद के पक्षों के अनुसार, कोई कानूनी कार्यवाही या न्यायालयी मुकदमेबाजी लंबित नहीं थी या है, तो उन्हें कानून के अनुसार पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए अपनी दलीलों में अनिवार्य रूप से यह बताना होगा।"

बी.

सी.

डी.

14. वर्तमान अपील की उत्पत्ति उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए विवादित आदेश से होती है जिसमें उच्च न्यायालय ने धारा 482 के साथ-साथ 401 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। इसे चिंता में डालते हुए, उन परिस्थितियों को निर्धारित करते हुए न्यायिक घोषणाओं द्वारा तय किए गए सिद्धांतों का प्रचार करना आवश्यक है जिनके तहत उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।इस न्यायालय ने राज्य के व्यापक रूप से प्रसिद्ध निर्णय में

ई.

हरियाणा और ओआरएस। बनाम भजन लाल और अन्य। **16** विस्तार से विचार किया गया

एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा और कई न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख किया और कहा कि उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण और दोषों की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए और जांच एजेंसी को अपना कार्य पूरा करने की अनुमति दिए बिना कार्यवाही को

रद्द नहीं करना चाहिए।साथ ही, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों की पहचान की जिसमें एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द किया जा सकता हैः

एफ.

"102. (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

जी.

15 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1194 16 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 ए

एच.

899

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

बी.

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

सी.

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

डी.

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और 21 कार्यवाहियों को जारी रखा गया है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

ई.

एफ.

16. आर**.** पी**.** कपूर बनाम में यह न्यायालय। पंजाब राज्य **17** का सारांश

ऐसे मामलों की श्रेणियां जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिएः-

जी.

(i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्था या निरंतरता के खिलाफ कोई कानूनी बाधा है जैसे कि मंजूरी की कमी;

17 (1960) 3 एससीआर 388

एच.

((ख) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में आरोप अंकित मूल्य पर लिए गए हैं और पूरी तरह से स्वीकार किए गए हैं, वे कथित अपराध नहीं हैं;

((ग) जहां आरोप एक अपराध है, लेकिन कोई कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत साक्ष्य आरोप को साबित करने में विफल रहता है।

बी.

17. यह न्यायालय इंदर मोहन गोस्वामी और अन्न में है। बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य। 18 ने देखाः-

“27. संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं और शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।न्यायालय को यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित हो।अंतर्निहित शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।उच्च न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां सभी तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं; विशेष रूप से, जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे वे तथ्यात्मक हों या कानूनी, इतने बड़े हैं कि उन्हें पर्याप्त सामग्री के बिना उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है।बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।

सी.

डी.

ई.

18. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में।**v** एन**.** ई**.** पी**.** सी**.** इंडिया लिमिटेड और अन्य। **19,** एक दो **-**

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर उदाहरणों की समीक्षा की और निम्नलिखित शब्दों में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किएः

एफ.

“12. ... (i) एक शिकायत को रद्द किया जा सकता है जहां शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ कथित मामला नहीं है।इस उद्देश्य के लिए, शिकायत की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए, लेकिन आरोपों के गुण-दोष की जांच किए बिना।न तो विस्तृत जांच और न ही सावधानीपूर्वक

जी.

18 (2007) 12 एस. सी. सी. 1 19 (2006) 6 एस. सी. सी. 736 ए

एच.

शिकायत को रद्द करने के लिए प्रार्थना की जांच करते समय सामग्री का विश्लेषण और न ही शिकायत में आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता का मूल्यांकन आवश्यक है।

(ii) एक शिकायत को भी रद्द किया जा सकता है जहां यह न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, जैसे कि जब आपराधिक कार्यवाही प्रतिशोध लेने या नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावना/द्वेष के साथ शुरू की गई है, या जहां आरोप बेतुके हैं और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं।

बी.

(iii) हालांकि, रद्द करने की शक्ति का उपयोग किसी वैध अभियोजन को दबाने या रोकने के लिए नहीं किया जाएगा।बिजली का उपयोग संयम से और बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

सी.

((iv) कथित अपराध के कानूनी घटकों को मौखिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए शिकायत की आवश्यकता नहीं है।यदि शिकायत में आवश्यक तथ्यात्मक आधार रखा गया है, केवल इस आधार पर कि कुछ अवयवों को विस्तार से नहीं बताया गया है, तो कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।शिकायत को रद्द करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब शिकायत में उन बुनियादी तथ्यों की कमी हो जो अपराध का पता लगाने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं।

डी.

(वी) "।

ई.

19. मध्य प्रदेश राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता और अन्य में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। **20** ने निम्नलिखित अवलोकन किया:-

“11. संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं और शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।न्यायालय को यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित है।अंतर्निहित शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां पूरे तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं, विशेष रूप से तब जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे वे तथ्यात्मक हों या कानूनी, विशाल हैं और उन्हें पर्याप्तता के बिना उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है।

एफ.

जी.

20 (2004) 1 एस. सी. सी. 691

एच.

सामग्री।बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।

शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में, कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उस मामले में किया जाता है जहां शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है या तुच्छ, परेशान करने वाली या दमनकारी है।यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, तो उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है।"

बी.

सी.

20. जी**.** सागर सूरी और अन्र में यह न्यायालय। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **21.**

उन्होंने कहा कि यह आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व है कि वह प्रक्रिया को जारी करने में बहुत सावधानी बरतें, विशेष रूप से जब मामले अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति के हों।

डी.

21. इस न्यायालय ने विशुद्ध रूप से दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने के बारे में बार-बार आगाह किया है।इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस प्रचलित धारणा को देखा कि नागरिक कानून उपचार समय लेने वाले हैं और ऋणदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं।न्यायालय ने आगे कहा किः-

ई.

"13. ...दीवानी विवादों और दावों को निपटाने के किसी भी प्रयास की, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दबाव बनाकर निंदा की जानी चाहिए और हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

22. शुरुआत में, प्रत्यर्थी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलार्थियों आई. पी. सी. की धारा 420,405,406,120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए जिम्मेदार थे।

इसलिए, उक्त अपराधों के तत्वों की जांच करना भी अनिवार्य है और क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, उनके चेहरे पर पढ़े जाने पर, दंड संहिता के तहत उन अपराधों को आकर्षित करते हैं।

एफ.

23. आई. पी. सी. की धारा 405 आपराधिक विश्वासघात को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार हैः-

जी.

"405. विश्वास का आपराधिक उल्लंघन।—जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या किसी भी प्रभुत्व के साथ

21 (2000) 2 एससीसी 636 ए

एच.

903

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

संपत्ति, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करती है, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करती है, कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करती है जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें ऐसे ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का, जिसे उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन को छूते हुए व्यक्त या निहित किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित करता है, "विश्वास का आपराधिक उल्लंघन" करता है।

बी.

आपराधिक विश्वासघात के अपराध के आवश्यक तत्व हैंः-

(1) अभियुक्त को संपत्ति या उस पर प्रभुत्व सौंपा जाना चाहिए।

सी.

(2) इस प्रकार सौंपे गए व्यक्ति को उस संपत्ति का उपयोग करना चाहिए, या; (3) अभियुक्त को बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान करना चाहिए या उल्लंघन में जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित करना चाहिए।

डी.

(क) उस विधि को विहित करने वाले विधि के किसी निर्देश का जिसमें ऐसे न्यास का निर्वहन किया जाना है, या; (ख) ऐसे न्यास के निर्वहन को स्पर्श करने वाले किसी कानूनी अनुबंध का।

24. “भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405 के तहत संपत्ति को सौंपना इसके तहत अपराध होने के लिए महत्वपूर्ण है।उपयोग किए गए शब्द हैं, 'किसी भी तरह से संपत्ति को सौंपा गया'।इसलिए, यह सभी प्रकार के प्रत्यर्पणों तक फैला हुआ है, चाहे वे क्लर्क, नौकर, व्यावसायिक भागीदार या अन्य व्यक्तियों को, बशर्ते वे 'विश्वास' का पद धारण कर रहे हों।एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के विपरीत उन्हें सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, वह विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है और दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडित किया जाता है।

ई.

एफ.

25. इस धारा में दी गई परिभाषा संपत्ति को केवल चल या अचल संपत्ति तक ही सीमित नहीं करती है।आर. के. डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन 22 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि संहिता में 'संपत्ति' शब्द का उपयोग 'चल संपत्ति' अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत व्यापक अर्थों में किया गया है।'संपत्ति' शब्द के अर्थ को केवल तब चल संपत्ति तक सीमित करने का कोई उचित कारण नहीं है जब इसका उपयोग धारा 405 में किसी भी योग्यता के बिना किया जाता है।

जी.

22 (1963) 1 एससीआर 253

एच.

26. सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम सी**.** बी**.** आई**. 23** में यह पाया गया कि

विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के कार्य का अर्थ होगा, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति का उपयोग या निपटान करना जिसे सौंपा गया है या जिसका अन्यथा उस पर प्रभुत्व है।इस तरह का कार्य न केवल बेईमानी से किया जाना चाहिए, बल्कि कानून के किसी भी निर्देश या ट्रस्ट को पूरा करने से संबंधित किसी भी अनुबंध का उल्लंघन भी होना चाहिए।

बी.

27. आई. पी. सी. की धारा 415 धोखाधड़ी को परिभाषित करती है जो इस प्रकार हैः-

“415. धोखा दे रहे हैं।—जो कोई भी, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी से या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार देने के लिए इस तरह से धोखा देने वाले व्यक्ति को प्रेरित करता है, या इस बात पर सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा करने के लिए छोड़ देता है जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे धोखा नहीं दिया गया था,

और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाती है या होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।”

सी.

डी.

धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक तत्व हैंः

1. किसी भी व्यक्ति का धोखा

2. (क) धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करनाःया

ई.

((ख) यह सहमति देना कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखेगा; या

(ख) जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ भी करने या छोड़ने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह ऐसा धोखा नहीं देता है, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है।

एफ.

28. धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन अपराध का एक अनिवार्य घटक है।एक व्यक्ति जो बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, वह धोखाधड़ी के अपराध के लिए उत्तरदायी है।

जी.

29. आई. पी. सी. की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को परिभाषित करती है जो इस प्रकार हैः-

23 (2009) 8 एससीसी 1 ए

एच.

905

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

“420. धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना।

—जो कोई धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के

लिए, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।"

बी.

30. आई. पी. सी. की धारा 420 धोखाधड़ी का एक गंभीर रूप है जिसमें संपत्ति के वितरण के साथ-साथ मूल्यवान प्रतिभूतियों के संदर्भ में प्रलोभन (किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना या स्थानांतरित करना) शामिल है।यह धारा उन मामलों पर भी लागू होती है जहां धोखाधड़ी या प्रलोभन के कारण संपत्ति का विनाश होता है।इस धारा के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जो 7 साल तक बढ़ सकती है और व्यक्ति को जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी बनाती है।

सी.

31. संपत्ति के वितरण को प्रेरित करने में धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित तत्वों को साबित करने की आवश्यकता हैः-

डी.

1. व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन गलत था

2. अभियुक्त को पहले से जानकारी थी कि उसने जो अभ्यावेदन दिया था वह गलत था।

ई.

3. अभियुक्त ने उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए बेईमान इरादे से गलत अभ्यावेदन किया जिसे यह किया गया था।

4. वह कार्य जिसमें अभियुक्त व्यक्ति को संपत्ति देने या ऐसा कोई कार्य करने या उससे दूर रहने के लिए प्रेरित करता जो व्यक्ति ने नहीं किया होता या अन्यथा किया होता।32. जैसा कि इस न्यायालय ने प्रो.आर. के

एफ.

विजयसारथी और अन्र। बनाम सुधा सीतारम और अन्र। **24,** सामग्री

धारा 420 के तहत अपराध का गठन निम्नानुसार हैः-i) किसी व्यक्ति को धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का अपराध करना चाहिए; और

जी.

(ii) ठगे गए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया जाना चाहिए;(क) किसी व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करना; या

ख) मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुहरबंद और मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम किसी भी चीज़ को बनाना, बदलना या नष्ट करना।इस प्रकार, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए धोखाधड़ी एक आवश्यक घटक है।

बी.

33. के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी

उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और अन्र। **25** लगभग समान के साथ

इस स्तर पर ध्यान देने के लिए तथ्य और परिस्थितियाँ प्रासंगिक हो सकती हैंः-

“6. अब हमारे द्वारा जाँच किए जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या शिकायत की याचिका में प्रकट किए गए तथ्यों पर आई. पी. सी. की धारा 420/120-बी के तहत किसी भी आपराधिक अपराध को बहुत कम अपराध माना जाता है। अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत याची में एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि जब उन्हें रुपये की बीमा राशि प्राप्त होगी। 4,20,000, वे रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। 2,60,000 शिकायतकर्ता को उसमें से लेकिन उसका कभी भुगतान नहीं किया गया है।यह बताया गया कि शिकायतकर्ता की ओर से कि आरोपी ने धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता को सहमत होने के लिए राजी किया ताकि आरोपी व्यक्ति रुपये के दावे के संबंध में उपभोक्ता मंच को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा सकें। 4,20,0000।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल अनुबंध के उल्लंघन के उन मामलों में धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई थी।यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखा नहीं हो सकता है।वर्तमान मामले में, यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्ति की ओर से धोखाधड़ी करने का इरादा था जो आई. पी. सी. 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

“7. हमारे विचार में शिकायत की याचिका आई. पी. सी. की धारा 420 या धारा 120-बी के तहत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है और वर्तमान मामला पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से नागरिक विवाद का मामला है जिसका उपाय एक उचित रूप से गठित मुकदमा दायर करके एक दीवानी न्यायालय के समक्ष निहित है।हमारी राय में, पुलिस को अनुमति देने वाले इन तथ्यों को देखते हुए

जी.

25 (2005) 10 एससीसी 336 ए

एच.

907

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

जांच जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करके इसे रद्द करना उचित और समीचीन था, जिसे उसने गलती से अस्वीकार कर दिया है।”

बी.

34. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और नुकसान के नागरिक दायित्व को जन्म देता है।

हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय ने हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और

ओआरएस। बनाम बिहार राज्य और अन्र। 26, केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच का अंतर, जो कि आपराधिक अपराध है, एक जुर्माना है।जबकि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी या बेईमान इरादे धोखाधड़ी के अपराध का आधार है।वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत अपीलार्थियों के बेईमान या धोखाधड़ी के इरादे का खुलासा नहीं करती है।

सी.

3 5.वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम। केरल राज्य और

ओआरएस। **27,** इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः**-**

डी.

“13. यह सच है कि तथ्यों का एक सेट एक दीवानी गलती के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक दीवानी उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकता है।वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही किसी अभियुक्त व्यक्ति की ओर से धोखाधड़ी करने की कोई शुरुआत हुई थी जो आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में, शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है।आपराधिक कार्यवाही को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालतों की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है।उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए।हमारी राय में, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की।”

ई.

एफ.

जी.

26 (2000) 4 एससीसी 168 27 (2015) 8 एससीसी 293

एच.

36. शिकायत/एफ़. आई. आर. और यहाँ तक कि आरोप-पत्र को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ़. आई. आर. में दिए गए कथन और अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप आई. पी. सी. की धारा 405 और 420 के तहत अपराध हैं।यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां आरोपी की ओर से अपना वादा पूरा करने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, वादा करने के समय गैर-जिम्मेदार इरादे के अभाव में, आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है।तत्काल मामले में, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थियोंओं का प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था जो पक्षों के बीच दिनांकित 20.08.2009 एमओयू से स्पष्ट रूप से घटाया जा सकता है।

बी.

37. विवाद की पूरी उत्पत्ति प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए निवेश से होती है, जिसकी राशि रु। 2. 5 करोड़ रुपये के बदले में, जिसमें से 2,50,000-इक्विटी शेयर वर्ष 25.03.2008 में जारी किए गए थे, अंततः दिनांकित 20.08.2009 एमओयू में समाप्त हो गए।इस समझौता ज्ञापन के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तीन शिकायतें दर्ज कीं, दो दिल्ली में और एक कोलकाता में।इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होने वाली दो एक साथ की जाने वाली कार्यवाही, अर्थात दिनांकित समझौता ज्ञापन, शुरू की गई थी, जो उस कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो वर्जित है।शिकायतों का विवरण इस प्रकार हैः-

सी.

डी.

1. 06.06.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए सी. जे. एम., तीस हजारी न्यायालय दिल्ली में धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की; जिसे 19.09.2016 पर वापस ले लिया गया था।

ई.

2. सी. आर. पी. सी. की धारा 200 के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 68 के तहत शिकायत सी. एम. एम., दिल्ली में तीस हजारी अदालतों में दायर की गई; जो लंबित है।

एफ.

3. 28.03.2013 पर, पी. एस. बौबाजार, सेंट्रल डिवीजन, कोलकाता को एक शिकायत की गई थी जिसे अंततः आई. पी. सी., 1860 की धारा 406,420,120 बी के तहत एफ. आई. आर. संख्या 168 के रूप में दर्ज किया गया था।

38. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 06.06.2012 पर धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत एक शिकायत दर्ज की, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उनकी प्रार्थना को एमएम, तीस हजारी न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.02.2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पी. एस. बौबाजार, कलकत्ता में 28.03.2013 पर अपनी शिकायत दर्ज की।शिकायत दर्ज करने की समयसीमा स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 के दुर्भावनापूर्ण इरादे को इंगित करती है जो केवल याचिकाकर्ताओं को परेशान करना था ताकि उन पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए निवेश को कम करने के लिए दबाव डाला जा सके।

जी.

एच.

909

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

ए.

प्रत्यर्थी संख्या 2 के दुर्भावनापूर्ण इरादे को निम्नलिखित से निकाला गया हैः

तथ्यः-

1. पीएस बौबाजार में दिनांक 31.03.2013 की शिकायत दर्ज करने के समय, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थियों के खिलाफ दिल्ली में दो शिकायतें दर्ज करने के बारे में खुलासा नहीं किया।2. आई. ओ. बौबाजार पी. एस. दिनांक 04.03.2014 द्वारा समापन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सी. एम. एम., कोलकाता के समक्ष एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें दो शिकायतों के भौतिक तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया गया था।

बी.

39. शिकायत में नं. एम. एम., तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष पंजीकृत 306/1/2012 दिनांक 06.06.2012, प्रत्यर्थी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने कहा किः-

सी.

“(ग) इसके बाद श्री विजय कुमार घई और श्री मोहित घई शिकायतकर्ता कंपनी के कार्यालय में बार-बार जाने लगे ताकि शिकायतकर्ता कंपनी को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी को बताया कि विशेष शाखा दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रिकनिट ब्रांड के तहत परिधानों के खुदरा व्यवसाय में वृद्धि देखी जा रही थी।10. कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के पास मामले का परीक्षण करने और उस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि शिकायतकर्ता कंपनी इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।इसके अलावा, सभी

डी.

ई.

व्यावसायिक गतिविधियों/लेन-देनों को विनियमित किया जा रहा है और

दिल्ली में नियंत्रित।इसके अलावा, शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा दायर शिकायतें संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष रखी गई हैं, जो इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी आती हैं।”

एफ.

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिल्ली में अधिकार क्षेत्र बनाया गया है क्योंकि अपीलार्थियों उन्हें अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 का दौरा करते थे और इस तथ्य पर विशेष बल दिया जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार/सहमत किया कि सभी लेनदेन दिल्ली में हुए थे।इसलिए, कोलकाता में शिकायत दर्ज करना अपीलार्थी को परेशान करने का एक तरीका है क्योंकि कोलकाता में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे के अलावा सभी आवश्यक तथ्यों के साथ दिल्ली में पहले ही शिकायत दर्ज की जा चुकी है।

जी.

40. एमएम, तीस हजारी ने धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा किः-

"....यदि शिकायतकर्ता को इसके कारण कोई नुकसान हुआ था, तो आवश्यक नागरिक उपचार नुकसान, मुआवजे और वसूली के रूप में निहित था।अनुबंध की किसी भी अवधि या शर्त के उल्लंघन के मामले में, निषेधाज्ञा या विशिष्ट प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आरोपी ने एक साल तक शिकायतकर्ता की राशि का दुरुपयोग किया था।पैसे के किसी भी रूपांतरण या दुरुपयोग को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि शेयरों को बाद में आवंटित किया गया था।विलंबित भुगतानों पर ब्याज लगाने की अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफलता के बारे में पक्षों ने स्वयं खंडों पर सहमति व्यक्त की है।

बी.

सी.

इस मामले में प्रथम दृष्टया धोखे या बेईमान प्रलोभन या गबन या धर्मांतरण या सौंपने या जालसाजी का कोई तत्व नहीं है।

डी.

इस मामले में पुलिस के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।अन्यथा भी, वर्तमान मामले में साक्ष्य स्वयं शिकायतकर्ता की पहुंच के भीतर है और यह अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान से अच्छी तरह से अवगत है और तकनीकी प्रकृति की किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है जो पुलिस के हस्तक्षेप की गारंटी दे सकती है।आवश्यक रिकॉर्ड शिकायतकर्ता के कब्जे के साथ है और गवाहों से पूछताछ करके इसे हमेशा रिकॉर्ड पर साबित किया जा सकता है।इस स्तर पर किसी भी हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी से कुछ भी पहचान योग्य बरामद नहीं किया जाना है।

ई.

एफ.

इन परिस्थितियों में, मैं अपने विवेक का उपयोग करना और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना उचित नहीं समझता, खासकर जब पुलिस के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।इस प्रकार धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन खारिज कर दिया जाता है।"

जी.

41. यह उल्लेख करना उचित है कि एम. एम., तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के समक्ष दायर धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया था और इसके खिलाफ आगे कोई चुनौती नहीं थी।इसके बजाय, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बौबाजार ए में कार्रवाई के उसी कारण के साथ शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुना।

एच.

911

विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

पीएस, कलकत्ता और आगे स्पष्ट करने के लिए, बौबाजार पीएस में दायर शिकायत तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर शिकायत का सटीक पुनरुत्पादन था, जिसमें केवल अंतर था या जिसे तथ्यों के बिंदु (सी) में 'न्यायिक सुधार' कहा जा सकता है।इसे नीचे बोल्ड में पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

बी.

"(ग) इसके बाद श्री विजय कुमार घई और श्री मोहित घई शिकायतकर्ता कंपनी के कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में समय-समय पर जाने लगे ताकि शिकायतकर्ता कंपनी को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके।10. कि ऊपर वर्णित तथ्य स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लिखित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत संज्ञेय अपराधों के होने का खुलासा करते हैं।कि अभियुक्त

सी.

लोगों ने मनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क किया

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रधान कार्यालय इसलिए कार्रवाई का कारण स्थानीय अधिकार क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ।"

डी.

42. उच्च न्यायालय का आदेश इस तथ्य के कारण गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है कि अपने दिनांकित अंतरिम आदेश में यह देखा गया था कि अपीलार्थी द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई के

एक ही कारण पर दो शिकायतें दायर की जा रही हैं, लेकिन विवादित आदेश उक्त पहलू की अनदेखी करता है और उस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था।साथ ही, आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तत्वों को आकर्षित करने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना अनिवार्य है कि याची और/या अन्य लोगों की ओर से शुरुआत से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने और/या धोखा देने का इरादा था।इसके अलावा यह प्रथम दृष्टया स्थापित किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) को धोखा देने के इस तरह के कथित कार्य के कारण गलत नुकसान हुआ था और इसके परिणामस्वरूप आरोपी (अपीलार्थी) को गलत लाभ हुआ था।इन तत्वों के अभाव में, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध करने के संबंध में कानून की नजर में किसी भी कार्यवाही की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट है कि शिकायत थी

ई.

एफ.

बहुत देर से दर्ज किया गया (क्योंकि पूरा लेनदेन जनवरी 2008 से अगस्त 2009 तक हुआ था, फिर भी शिकायत मार्च 2013 में दर्ज की गई है, यानी लगभग 4 साल की देरी के बाद)

जी.

याची को परेशान करने का उद्देश्य और किसी भी सच्चाई से रहित है।

43. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.10.2019 के विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।द.

एच.

आई. पी. सी. की धारा 406,420,120 बी के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांकित आरोप पत्र के अनुसरण में सीएमएम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की फाइल में आक्षेपित एफ. आई. आर. संख्या 168 और कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

44. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।

बी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.